न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 83/2018 (अपील)

1. रामगोपाल पुत्र तेजमल मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

——प्रार्थी,

बनाम

1. श्री राधेश्याम
2. श्री राजाराम पुत्रान श्री रामगोपाल, जाति मीणा निवासीगण ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

———अप्रार्थीगण

वसूली प्रार्थना पत्र अपील आदेश दिनांक 05.04.2018 न्यायालय जिला कलक्टर कोटा, अर्न्तगत धारा 16 माता पिता और वृद्व नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांकः– 20/11/2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट दीगोद, के दिनांक 15.09.2017 से पारित आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में अपील पेश की गई, जिस पर पूर्व अपील प्रकरण संख्या 56/2017 दिनांक 5.4.2018 से निर्णय पारित किया गया अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.9.2017 के जरिये रेस्पोडेन्ट के खिलाफ तय की गई भरण पोषण राशि प्रत्येक पुत्र 1500/– यानि दौनों पुत्रों द्वारा 3000/– प्रतिमाह से बढाकर प्रत्येक पुत्र 5000/– यानि दौनों पुत्रों द्वारा 10000/– प्रतिमाह अदा करने के आदेश दिये जाते है । "
2. आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट पुत्रों द्वारा तय राशि का भुगतान नहीं करने पर यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.7.2018 को पेश किया गया है कि प्रतिपक्षीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है प्रार्थी को आदेशानुसार आज तक किसी प्रकार का कोई भरण पोषण राशि अदा नहीं की है प्रार्थी दिनांक 5.4.2018 से दिनांक 5.7.2018 तक कुल 3 माह का 10,000/– की दर से कुल 30,000/– प्रतिपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है । इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत वसूली पेश किया जाकर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण के विरूद्व उपरोक्त भरण पोषण राशि के लिये वसूली वारंट जारी करने की कृपा करें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त, अप्रार्थी सं0 1 राधेश्याम उपस्थित, अप्रार्थी नं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया ।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 5.4.2018 से अब तक आदेश की पालना में मुझे कोई भुगतान नहीं किया गया है, जो दिलाया जावें ।

5. वकील अप्रार्थी ने अवगत कराया है कि अप्रार्थी द्वारा काफी राशि का भुगतान किया जा चुका है, तथा यह भी कथन किया कि प्रार्थी को शराब पीने का, जुआं सट्टा लगाने का शोक है, जो यह सारा पैसा शराब, जुआं सट्टे में बर्बाद कर देते है, अप्रार्थी बमुश्किल खेती बाडी करके अपना पेट पाल रहा है, फिर भी शेष राशि का मैं इन्हें भुगतान कर दूंगा ।

6. हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 56/2017 निर्णय दिनांक 5.4.2018 से निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.9.2017 के जरिये रेस्पोडेन्ट के खिलाफ तय की गई भरण पोषण राशि प्रत्येक पुत्र 1500/– यानि दौनों पुत्रों द्वारा 3000/– प्रतिमाह से बढाकर प्रत्येक पुत्र 5000/– यानि दौनों पुत्रों द्वारा 10000/– प्रतिमाह अदा करने के आदेश दिये गये थे, किन्तु उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थीगण द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है । हम यहां पाते है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक काभरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान हेतु पारित आदेश की पालना में भरण पोषण की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा–5 (8) के तहत कार्यवाही की जा सकती है ।

7. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी दीगोद को यह आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण राधेश्याम, राजाराम पुत्रान रामगोपाल से इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 5.4.2018 से आपके आदेश दिनांक 15.9.2017 में संशोधन करते हुए भरण पोषण की तय की गई राशि प्रत्येक पुत्र से 5000/– यानि दौनों पुत्रों से 10,000/– प्रतिमाह की वसूली, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा–5 (8) के तहत कार्यवाही करते हुए राशि वसूल कर प्रार्थी रामगोपाल को भुगतान कराई जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner